



सत्यमेव जयते

## भारत सरकार

कार्यालय, आयकर आयुक्त,  
जयपुर—प्रथम, जयपुर

आदेश संख्या : आ०आ०/जय-।/आ०आ०(८० एवं न्या)/८०—जी /२०१२-१३/२१७

दिनांक— २४/३/१३

निर्धारिती का नाम और पता-

**TARUN BHARAT SANGH** ( PAN- AAATT1642H)  
34/24, SIDDARTH PATH, MANSAROVER  
JAIPUR

आयकर अधिनियम की धारा 80—जी के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र 27.02.2013 से वैध ।

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन/आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा 80—जी के अन्तर्गत उपधारा (5) के की शर्तों को पूरा किया है, निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएं दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी ।


संस्था को 80—जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है –

- 1 संस्था अपनी लेखा पुस्तकों नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा 80—जी (5)(iv) के अधीन —धारा 12 ए (बी)— के अनुपालन के साथ करवायेगी ।
- 2 दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाण—पत्र कब तक वैद्य है ।
- 3 न्यास/संस्था के विलेख (deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी ।
- 4 यदि संस्था धारा 80—जी के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 12(ए) धारा 12 ए(1)(बी) के अंतर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा 10(23), 10(23सी)–(vi ) (vi-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा 80 जी (5)(i)(ए) के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होगी । साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी ।
- 5 धारा 80—जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा ।
- 6 संस्था दानदाता को प्रमाण—पत्र जारी करते समय उपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाण—पत्र का दुरुपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो ।

- 7 संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जायेगी ।
- 8 संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा 80 जी(5)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा ।
- 9 संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताएं और बताएं गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के किया कलाप कहों किए जा रहे हैं या किए जाने की सम्भावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी ।
- 10 यदि नवीनीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा ।
- 11 धार्मिक व्यय कुल आय के 5 % से अधिक नहीं होगा ।
- 12 प्रार्थना पत्र धारा 80 जी के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में संख्या 161 / 17 न्यास/संस्था में दर्ज कर लिया गया है ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत प्रमाण-पत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता ।



  
( बी. एस. कोठारी )  
आयकर आयुक्त, जयपुर प्रथम  
जयपुर

प्रतिलिपि—

1. TARUN BHARAT SANGH , JAIPUR ।
2. अपर आयकर आयुक्त, खण्ड- प्रथम, जयपुर ।
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल-1, जयपुर ।

  
( बी.एम.तेवर )  
आयकर अधिकारी( त० एवं न्या० )  
कृते आयकर आयुक्त, जयपुर प्रथम,  
जयपुर